

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एक० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) संसद् सदस्य तथा विधायक को जो स्वतंत्रता सेनानी थे, पेंशन स्वीकृति के लिये आवेदन कर सकते हैं बशर्त कि वे योजना में निर्धारित की गई पात्रता की शर्तों को पूरी करते हों, उनके आवेदन पत्रों की जांच की जायेगी किन्तु तब तक पेंशन स्वीकृति के बारे में कोई आदेश जारी नहीं किये जाएंगे जब तक उनसे यह सूचना प्राप्त नहीं हो जाती है कि उनकी वार्षिक आय 5000/- रुपये से कम है, श्री जगदीश नारायण मण्डल संसद् सदस्य को गन्ती से पेंशन स्वीकृत की गई थी। हम संसद् सदस्य से अनुगोच पर पेंशन रद्द करने के आदेश जारी किये जा चुके हैं।

(ग) और (घ). राज्य विधान सभा के सदस्य पेंशन स्वीकृति के पात्र होते हैं बशर्त कि उनकी वार्षिक आय 5,000/- रुपये से कम हो। इसके अतिरिक्त यदि आवेदन पत्रों में विशेष रूप से यह नहीं कहा जाता है कि आवेदक एक संसद् सदस्य अथवा विधायक हैं तो इस तथ्य को जानना सम्भव नहीं है जब तक कि राज्य सरकार से कोई जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो जाती है।

दिल्ली में स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मेलन

4769. श्री रामावतार सास्त्री :
श्री श्री० बाबाबाबु ।

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 9 और 10 अगस्त, 1973 को दिल्ली में स्वतंत्रता सेनानियों का कोई सम्मेलन आयोजित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में भाग लेने वाले सेनानियों की संख्या कितनी थी तथा वे किन राज्यों से आये थे ; और

(ग) सम्मेलन में स्वीकृत प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं और सरकार की उनसे बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एक० एच० मोहसिन) : (क) से (ग). सरकार द्वारा अगस्त, 1973 में स्वतंत्रता सेनानियों के कितने सम्मेलन वा कोई आयोजन नहीं किया गया था। किन्तु सरकार ने 9 अगस्त, 1973 को दिल्ली में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के राष्ट्रीय संघ द्वारा आयोजित स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मेलन के बारे में प्रेस रिपोर्टें देखी हैं। प्रेस रिपोर्टों में सम्मेलन में पारित संकल्पों अथवा भाग लेने वालों की संख्या और विवरण के बारे में कोई स्पष्ट संकेत नहीं है।

बिहार में पिछड़े क्षेत्रों का विकास

4770. श्री रामावतार सास्त्री :

श्री जन्म शेखर सिंह :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार से राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में विकास के लिये कोई योजना केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन द्वारिका) : (क) राज्य सरकार ने योजना की छोटानागपुर द्वा. सभ्यता परमनों के प्राधिकरण द्वारा छोटानागपुर तथा सभ्यता परमनों के लिये बनाई गई पांचवीं पंचवर्षीय योजना का मधीमा पैजा है।